

R Jewels

PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO: 290101213

Block/Sector :

Plot/House:- P.NO.86/275 & 86/275-A

SCHEME : NON- SCHEME

Permit Date:- 18/05/2013

Application Date:-29/01/2013

Permit No:- 834/BHAWAN / 2012-13

Area (Place):-RAIPURWA

Land Usage:- RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL

Applicant's Name-RATAN HOUSING DEVELOPMENT LTD.

Present Address 113/70, SWAROOP NAGAR, KANPUR

Sanction vide order dated 18/04/2013 SECRETARY build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years the date of sanction for fresh map/ one year in Case Of renewal.

29/1/13
Authorised Signatory

आशीष शिवपुरी

नगर नियोजक

कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर

Copy to:- Officer incharge (Enforcement) alongwith sanctioned copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्तें

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/ग्रेह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकैड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य हैं।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
6. मानचित्र में दर्शित अधमनीय निर्माण निर्धारित तिथि तक पक्ष द्वारा स्वयं ध्वस्त नहीं किया जाता तो विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का 17 प्रतिशत हर्जाना कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
8. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होंगे। एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
9. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. स्वामित्व के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
11. किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. मानचित्रों में चस्पा समस्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।

Authorised Signatory

आशीष शिवपुरी

नगर नियोजक

कानपुर विकास प्राधिकरण

कानपुर

15/06/18